

नगर पालिका, खंडेला

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/KHANDELA/FIRENOC/2025-26/65610
जारी दिनांक: 23-APR-2026 वैधता दिनांक: 22-APR-2028

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: KHANDELA EDUCATION SOCIETY
आवेदक का पता: KANWAT ROAD KHANDELA SIKAR RAJASTHAN

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन KHANDELA SAH SHIKSHA MAHAVIDALAYA, 16, KANWAT ROAD, DAYARA, , SIKAR, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह अस्थाई (Temporary) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

- अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से 01 वर्ष की अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
- भवन के समस्त स्टॉफ एवं सिविलियन गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलवाना आवश्यक होगा।
- अग्निशमन उपकरण समयावधि में रिफिल कराना होगा।
- निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
- यदि राज्य सरकार या पालिका द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
- भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाये जाने की स्थिति में यह अभिशंका पत्र निरस्त माना जावेगा।
- पानी के टैंक हर समय भरे हुये रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
- फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे, तथा ए एम सी करवाई जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
- फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
- भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
- रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टॉवर में टॉवर की उचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
- यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
- भूमि व भवन सम्बंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र रूफटॉप रेस्टोरेन्ट के लिए मान्य नहीं है, जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है वहां पर रूफटॉप रेस्टोरेन्ट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।



अग्निशमन अधिकारी
नगर पालिका, खंडेला